

6-7-23

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। अपाधी संख्या 1, 11, 14, 21 से 23 बावजूद तामील हाजिर नहीं। बोट 2 भावाज लगाने पर भी हाजिर अक्षरत स्वयं प्राणकी ओर से कोई अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ वार्डकही एक तरफा की जाती है। अपाधी संख्या 2 लगायत 10, 12, 13, 15 लगायत 20 के अधिवक्ता उपस्थित जो कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। वकील प्राधी एवं अपाधी ने उपस्थित होकर निरंकुश किया कि हम दोनों पक्ष रिकॉर्ड व मॉके की यथास्थिति

20/11/23

1/11/23



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज


नम
अहम
हुक्म
में

तारीख
हुक्म

तार्कसलावाद बनाए रखने हेतु सहमत हैं।
हमने दोनों पक्षों को मुगा/फरावली में
प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भगवानपुरा तहसील
सन्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 873 में दर्ज
आम नं० 4228-4231-4234-4257-4258-4283
कुल बीता 6 कुल रकबा 1.9855 हेक्टर अप्रार्थी सं०
2 से 13 के नाम एवं खाता सं० 150 में दर्ज आराजी
नं० 4233 रकबा 0.0379 हेक्टर अप्रार्थी सं० 5 से 21
के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज हैं।

उपर वर्णित आराजीयात प्रार्थी की पुत्री
हेकर अपने पिता लक्ष्मणनाथ पिता लालूनाथ
की 12 हिस्से से संयुक्त खातेदारी से अन्य सह खातेदारी
के साथ नकल जमाबन्दी सन्वत् 2055 से 58 के
खाता संख्या 245 में दर्ज थी। खातेदार लक्ष्मणनाथ के
मौत हो जाने पर सम्पूर्ण आराजीयात नामान्तरण
संख्या 2544 दिनांक 4-12-2001 से जेठी पालि
लक्ष्मणनाथ 12 से खाते में दर्ज हो गई जबकि
प्रार्थीया स्वर्गीय लक्ष्मणनाथ की जाइन्दा पुत्री हैं।
अप्रार्थी संख्या 01 ने सम्पूर्ण आराजीयात व चार
की आम नं० 4233 में अपने सम्पूर्ण 12 हिस्से को
अप्रार्थी सं० 2 लगायत 21 को विक्रय कर दी जाने से
राजस्व लिफाई में अप्रार्थी गण के नाम दर्ज हो चुकी है
जबकि प्रार्थीया का खाता संख्या 873 में दर्ज आराजीयात
में 14 व खाता सं० 150 में दर्ज आराजी में 18
हक हिस्सा निहित है। चूंकि बाद वर्णित आराजीयात
का विक्रय हेकर राजस्व लिफाई में नाम पर दर्ज हो
चुकी है उसे बाद के निस्तान तक दोनों पक्ष
लिफाई की यथास्थिति एवं मौके की यथास्थिति
प्राप्त रखने हेतु सहमत हैं। चूंकि बाद

प्रार्थनापत्र संख्या 5/2023 (चारा 212 R.T.A.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही पर इतिहासत्मक सारांश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>विचाराधीन है। अतः प्रार्थनापत्र वाद के निस्तापण तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने की शर्त के साथ निस्तापित किया जाता है। आदेश लिखाया जाकर कुलेन्यायालय में सुनाया गया। पञ्चावली पैसल शुमार सेकण्ड नम्बर से कम है।</p> <p> उपसुब्ब अधिकारी मंडल जिला नीलवाड़ा</p>	